फोन : 09997858988, 09319360554

न्यायधर्मसभा

जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार-249408
वेबसाइट : www.nyayadharmsabha.org, ईमेल : nds.haridwar@gmail.com

(न्यायशील सार्वभौमिक राष्ट्र की स्थापना हेतु न्यायशील घोषणापत्र का सारांश)

सुनिश्चित उपलब्धि

1. प्रत्येक व्यक्ति को समुचित सीमा तक शिक्षा-प्रशिक्षण की 100% नि:शुल्क सुलभता हेतु 25% विद्याबजट का प्रावधान।
2. प्रत्येक परिवार को समुचित सीमा तक जीविका-रोजगार की 100% नि:शुल्क सुलभता हेतु 25% जीविकाबजट का प्रावधान।
3. प्रत्येक ग्राम को समुचित सीमा तक सड़क, पानी, बिजली, संचार, परिवहन, खेल, पार्क आदि की 100% नि:शुल्क सुलभता हेतु 25% सुविधाबजट का प्रावधान।
4. सृष्टि के प्रत्येक संवर्ग को समुचित सीमा तक चिकित्सा, सुरक्षा, बीमा, बैंकिंग आदि सेवाओं की 100% नि:शुल्क सुलभता हेतु 25% संरक्षणबजट का प्रावधान।
5. न्यायशील त्रिकोणीय अर्थव्यवस्था के अवलम्बन द्वारा श्रम, पूँजी, सुविधा के त्रिविध विनियोग एवं समरवामित्व की 100% सामंजस्यपूर्ण उद्यमनीति।
6. आर्थिक उद्यमों में श्रमिक, पूँजीपति, सरकार के रूप में 100% शुद्ध त्रिपक्षीय समान स्वामित्व एवं समुचित आर्थिक हिताधिकारों की प्रतिष्ठा।
7. न्यायशील त्रिकोणीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के तृतीयांश भाग (1/3rd) के रूप में 100% शुद्ध सरकारी राजस्व का निर्धारण।
8. न्यायशील राजकोषीय नीति द्वारा उद्यमस्थल पर अथवा सीधे बैंक के लेन-देन पर 1% या 2% की दर से कटौती (TDB) द्वारा 100% शुद्ध राजस्वार्जन।
9. न्यायशील राजकोष से 25% विद्याबजट, 25% जीविकाबजट, 25% सुविधाबजट, 25% संरक्षणबजट के रूप में 100% समानुपातिक बजटीकरण।
10. आंकिक मुद्रा प्रणाली द्वारा सभी लेन-देन, आय-व्यय, क्रय-बिक्रय की पारदर्शिता एवं बैंक पर कटौती द्वारा 100% शुद्ध राजस्वार्जन व करवसूली।
11. संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली द्वारा आवश्यक द्रव्य, ऋण व पूँजीविनियोग हेतु प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सम्पदाओं के तरलीकरण की 100% सुलभता।
12. निर्भार मुद्राप्रचालन प्रणाली द्वारा सम्पत्तिविहीनों के लिए निर्व्याज रूप से लाभांश व किश्तवापसी की शर्त पर ऋण व उधार की 100% सुलभता।
13. पात्रतानुसार कर्म, कर्मानुसार पद, पदानुसार सम्पदाओं के न्यायशील नियोजन द्वारा कर्मों, पदों, सम्पदाओं पर 100% सुपात्र स्वामित्व की प्रतिष्ठा।
14. नेतृत्वपद हेतु प्रत्याशियों के चुनावप्रचारार्थ सरकारी माध्यमों द्वारा समान व्यवस्था एवं आनलाइन वोटिंग सिस्टम द्वारा 100% सरकारी व्ययों पर चुनाव।
15. पात्रता एवं लोकप्रियता परीक्षणों वाले गुणात्मक पंचायती लोकतन्त्र की स्थापना द्वारा केवल 5 सदस्यों वाली त्रिसदनीय 100% शुद्ध लोकसंसद का गठन।
16. विधायन, मन्त्रित्व, निर्णयन के रूप में न्यायशील 3 नेतृत्वकार्यों तथा प्रशासन, राजस्वार्जन, लोकपालन सम्बन्धी 3 राजकार्यों की 100% न्यायशीलता।
17. नेतृत्वकर्मियों के लिए एक औसत मध्यम स्तरीय सर्वोपयोगी सीमायुक्त समुचित भत्ते की 100% शुद्ध न्यायशील व्यवस्था।
18. राज्यकर्मियों के चपरासी से राष्ट्रपति तक सभी पदों पर नि:शुल्क सेवा एवं पारिवारिक निर्वाहव्यय की पूर्ति हेतु समान वेतनमान की 100% न्यायशील व्यवस्था।
19. ग्राम, प्रभाग, प्रदेश, देश, विश्व केन्द्रयुक्त 5 अंग वाले 100% न्यायशील सार्वभौमिक राष्ट्र के रूप में विश्वभारत की प्रतिष्ठा।
20. विश्व में एक संविधान, एक राष्ट्र, एक सरकार, एक सेना, एक मुद्रा, एक भाषा, एक धर्म (न्याय) की 100% शुद्ध अपव्ययनिरोधक व्यवस्था।
21. न्यायालयीन प्रक्रिया में स्थल पर न्याय, त्वरित जाँच, त्वरित निर्णय, जानबूझकर अनुपस्थित पक्ष के विरुद्ध निर्णय की 100% शुद्ध न्यायिक व्यवस्था।
22. मताधिकार, मानवाधिकार, जनाधिकार, विशेषाधिकार एवं कर्तव्यों का न्यायशील 100% अत्यन्तिम शुद्ध प्रतिपादन।
23. किसी व्यक्ति, परिवार, समूह, संवर्ग के निजी आचार की स्वतन्त्रता एवं पारस्परिक व्यवहार की सहभागिता का 100% शुद्ध विधायन।
24. पंचअपराध, पंचदण्ड, पंचप्रायश्चित, पंचपुरस्कार आदि के रूप में 100% शुद्ध सरलीकृत न्यायशील समुचित विधायन।
25. विद्यानीति, जीविकानीति, सुविधानीति, संरक्षणनीति के समुचित न्यायशील 100% शुद्ध स्वरूप की प्रतिष्ठा।
26. विश्वबन्धुत्वम्, वसुधैवकुटुम्बकम्, ब्रह्माण्डमण्डलम्, न्यायमूलं सुराज्यम्, न्यायं शरणं गच्छामि के सत्घोषों की 100% प्रतिष्ठा।

***

सुनिश्चित प्रभाव

1. भाषा, गणित, संज्ञान, दर्शन की शिक्षा एवं कृषि, वाणिज्य, राज्य, नेतृत्व के प्रशिक्षण द्वारा अशिक्षा एवं अकुशलता की 100% समाप्ति।
2. कृषि, वाणिज्य, राज्य, नेतृत्व आदि चारों कर्मों में से प्रतिपरिवार एक रोजगार की व्यवस्था द्वारा अनाजीविका एवं बेरोजगारी की 100% समाप्ति।
3. गाँव-शहर के बीच स्तरभेद एवं गाँवों-वस्तियों के पिछडेपन व मलिनता की 100% समाप्ति।
4. अनाथों, असमर्थों, रोगियों, विक्षिप्तों के लिए आश्रय एवं सामान्य जनों को रोगों, भयों, आक्रमणों, आपदाओं, संकटों से 100% समुचित छुटकारा।
5. अन्यायकारी द्वन्द्वात्मक अर्थव्यवस्था में कुप्रतिष्ठित स्वामी-दास (मालिक-नौकर) के मध्य पारस्परिक संघर्षों की 100% समाप्ति।
6. आर्थिक उद्यमों में श्रमवादी अथवा पूँजीवादी अथवा राज्यवादी एकपक्षीय स्वामित्व का अन्त एवं आर्थिक हिताधिकारों में विषमता की 100% समाप्ति।
7. भूलगान, सम्पत्तिकर, आयकर, बिक्रीकर, सेवाकर, उत्पादकर, आयातकर, पथकर, जलकर, विद्युतकर, मनोरंजनकर, उपहारकर आदि समस्त करों की 100% समाप्ति।
8. राजस्वार्जन की एकीकृत एवं सरलीकृत व्यवस्था द्वारा राजस्व एवं कराधान की भयंकर जटिलताओं, अपव्ययों की 100% समाप्ति।
9. न्यायशील समानुपातिक बजटीकरण द्वारा राजकोष के अनुपयोग एवं दुरुपयोग पर 100% नियन्त्रण।
10. आर्थिक भ्रष्टाचार, कालाधन, नकलीमुद्रा, टैक्सचोरी एवं अन्य मौद्रिक अपराधों जैसे- चोरी, गबन, डकैती, आतंकवाद की 100% समाप्ति।
11. राष्ट्र के लिए विदेशी एवं देशी ऋणसंकट, विनियोगसंकट एवं अन्य मौद्रिक संकटों तथा उनपर व्याज, लाभ, टैक्स रूपी शोषण की 100% समाप्ति।
12. मुद्रा पर सरकारी व्याज-टैक्स-शुल्कादि अनुचित भारों द्वारा मौद्रिकशोषण, अनुद्यमिता, धनध्रुवीकरण, धीमा चलनवेग एवं अन्य अभिशापों की 100% समाप्ति।
13. कर्मों-पदों-सम्पदाओं के अनुचित अधिग्रह एवं संग्रह द्वारा कर्मों, पदों, सम्पदाओं पर अपात्र स्वामित्व एवं भयंकर आर्थिक वैषम्य की 100% समाप्ति।
14. नेतृत्वपद हेतु राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक चुनावों की दुर्दशा का अन्त व सरकारी अपव्ययों एवं निजी चुनावप्रचार अपव्ययों की 100% समाप्ति।
15. संसद में भीड़तन्त्र की कलहपूर्ण, अमर्यादित, विवादास्पद, गुणहीन, विफल, अन्यायकारी एवं दूषित वातावरण की 100% समाप्ति।
16. नेतृत्वकर्म एवं राजकर्म की निराधार, निरर्थक, असैद्धान्तिक, न्यायविरुद्ध, दूषित दशा की 100% समाप्ति।
17. न्यायविरुद्ध अमर्यादित व असीमित राजनैतिक वेतन, भत्तों, लाभों, सुविधाओं, सेवाओं निजी कोषों के अनुचित प्रावधानों की 100% समाप्ति।
18. लोकसेवा अथवा जनसेवा की सशुल्कता का अन्त एवं राजकीय कर्मचारियों के परिवारों के बीच आर्थिक वैषम्य की 100% समाप्ति।
19. वर्तमान 200 से भी अधिक परस्पर विरोधी राष्ट्रों के पारस्परिक विवादों, संघर्षों, शस्त्रहोड़ों, युद्धों की 100% समाप्ति।
20. संविधानभेद, राष्ट्रभेद, सरकारभेद, सेनाभेद, मुद्राभेद, भाषाभेद, धर्मभेद आदि के कारण अपव्ययों की 100% समाप्ति।
21. न्यायालयों की ढिलवाही, सुस्ती, उपेक्षा, तिथि अग्रसारण एवं करोड़ों लम्बित प्रकरणों की 100% समाप्ति।
22. अधिकारों एवं कर्तव्यों के असैद्धान्तिक, अन्यायकारी स्वरूप की 100% समाप्ति।
23. आचार की परतन्त्रता एवं व्यवहार की उद्दण्डता, मिथ्यारोप, अतिक्रमण, अनाचार, अत्याचार, अव्यवहार, अतिव्यवहार आदि की 100% समाप्ति।
24. अपराधविधान, दण्डविधान, प्रायश्चितविधान, पुरस्कारविधान आदि के न्यायविरुद्ध जटिल व अशुद्ध स्वरूप की 100% समाप्ति।
25. विद्या, जीविका, सुविधा, संरक्षण आदि से सम्बन्धित विषम, अनुचित, जटिल, दुर्गम एवं अनुपयोगी नीतियों की 100% समाप्ति।
26. विश्वविखण्डन, विश्वयुद्ध, सृष्टिविनाश, अन्यायकारी कुराज्य की दूषित परिस्थितियों एवं दुर्दशाओं की 100% समाप्ति।

***